न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 161 /2020 प्रा.पत्र

1 भागू पुत्र हजारी सिंह नि० भुवाला (ख०) तह० करेड़ा – कॉ०

––प्रार्थी।

बनाम

–श्री कालू पुत्र देवा गुर्जर नि० भुवाला (ख०) – तह० करेड़ा – कॉ०

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय :: दिनांक: 6/5/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भुवाला (ख०) पटवार हल्का भुवाला (ख०) भू0अ0नि0 क्षेत्र गोस्सा खाता संख्या 2005, 2987 की आ0नं0 726 923 924 925 928 932 933 2603 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 3008 1.00/0.04/1.03/0.03/0.02/0.04/0.05/0.05/0.02/0.07/0.05/0.07/0.07/0.15/0.08/0.08/ 932/ 3359/2176 कि०मि० 24 रकबा 15.11 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। ार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/9/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण लोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से ो कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की ो होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों ो हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम भुवाला (ख०) पटवार हल्का भुवाला (ख०) भू0अ0नि0 क्षेत्र गोस्सा में उनके खाता 2987 की आ0नं 726 923 924 925 928 932 933 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 3008 1.00/0.04/1.03/0.03/0.04/0.05/0.05/0.02/0.07/0.15/0.08/0.08/ 932/ 3359/2176 कि०मि० 24 रकबा 15.11 बीघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की ानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 गोस्सा को 1150/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की [illegible] स्थिति को बनाये रखते हुये न बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फस[illegible] पर पत्थरगढी नहीं की जावे। –प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:42:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा